

असाधारण

**EXTRAORDINARY** 

भाग III—खण्ड 4

**PART III—Section 4** 

प्राधिकार से प्रकाशित

#### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] No. 211] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2019/ज्येष्ठ 24, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2019/JYAISTHA 24, 1941

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जून, 2019

सं. एल-2/2(2)/2011-स्था/के.वि.वि.आ.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 के खंड 178 के उपखंड (2) की धारा (Za) के साथ पिठत खंड 91 के उपखंड (3) के अधीन प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए व वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के आईडी संख्या 910004/ई.समन्वय.आई/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 के अनुसार, केन्द्र सरकार के अनुमोदन से केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्ते) विनियम, 2007 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

#### 1. सक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :

- (i) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्ते) (चतुर्थ संशोधन) विनियम, 2019 है।
- (ii) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- 2. मूल विनियम के विनियम 5 में संशोधन : मूल विनियम के विनियम 5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :
  - 5. स्वीकृत कार्मिक संख्या व वेतनमान

आयोग में स्वीकृत पदों को विभिन्न वेतनमानों में वर्गीकृत किया गया जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है, जो प्रत्येक श्रेणी के लिए केंद्र सरकार के तदनुरूपी स्तर को दर्शाता है।

पद	वेतनमान/वेतन मेट्रिक्स में लेवल	केंद्र सरकार में समतुल्य	पदों की संख्या
		पद	
1	2	3	4
सचिव	लेवल−14(₹1,44,200−₹2,18,200)	संयुक्त सचिव	1
प्रमुख	लेवल−14(₹1,44,200−₹2,18,200)	संयुक्त सचिव	4
संयुक्त प्रमुख	लेवल−13(₹1,23,100−₹2,15,900)	निदेशक	9

2873 GI/2019 (1)

उप प्रमुख	लेवल−12(₹78,800−₹2,09,200)	उप सचिव	21
एकीकृत वित्तीय सलाहकार	लेवल−12(₹78,800−₹2,09,200)	उप सचिव	1
वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	लेवल−12(₹78,800−₹2,09,200)	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	1
सहायक सचिव	लेवल−11(₹67,700−₹2,08,700)	अवर सचिव	2
सहायक प्रमुख	लेवल−11(₹67,700−₹2,08,700)	अवर सचिव	28
बेंच अधिकारी	लेवल−11(₹67,700−₹2,08,700)	अवर सचिव	2
प्रधान निजी सचिव	लेवल−11(₹67,700−₹2,08,700)	प्रधान निजी सचिव	4
वेतन व लेखा अधिकारी	लेवल−10(₹56,100−₹1,77,500)	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	1
वरिष्ठ लेखा अधिकारी	लेवल−10(₹56,100−₹1,77,500)	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	2
निजी सचिव	लेवल−7(₹44,900−₹1,42,400)	निजी सचिव	5
सहायक	लेवल−6(₹35,400−₹1,12,400)	सहायक	16
निजी सहायक	लेवल−6(₹35,400−₹1,12,400)	निजी सहायक	2
कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	लेवल−6(₹35,400−₹1,12,400)	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	1
आशुलिपिक	लेवल−4(₹25,500−₹81,100)	आशुलिपिक	1
हिन्दी लिपिक (अ. श्रे. लि)	लेवल−2(₹19,900−₹63,200)	हिन्दी लिपिक (अ. श्रे. लि.)	1
रिसेप्शनिस्ट एंव टेलीफोन	लेवल−2(₹19,900−₹63,200)	अवर श्रेणी लिपिक	1
ऑपरेटर			
ड्राइवर	लेवल−2(₹19,900−₹63,200)	ड्राइवर	4
वरिष्ठ चपरासी / दफ्तरी	लेवल−1(₹18,000−₹56,900)	दफ्तरी	2
चपरासी	लेवल−1(₹18,000−₹56,900)	चपरासी	2
कुल			111

3. <u>मूल विनियम के विनियम 6 में संशोधन</u> : मूल विनियम के विनियम 6 के पैरा 1 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात : —

आयोग में स्वीकृत पदों पर नियुक्तियां या तो सीधी भर्ती के माध्यम से या प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्तों) के आधार पर या अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर या पदोन्नित के आधार पर निम्न प्रकार से की जा सकती हैं—

क्रम	पद	नियुक्ति का तरीका
संख्या		
1	सचिव	प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्ती) के आधार पर
2	प्रमुख	क) 50 % – पदोन्नति ना होने की स्थिति में
		प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्ती) / अल्पकालिक अनुबंध के
		आधार पर
		ख) 50 % – प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
		शर्तों) / अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर
3	संयुक्त प्रमुख	क) 50 % – पदोन्नति ना होने की स्थिति में
		प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्ती) / अल्पकालिक अनुबंध के
		आधार पर
		ख) 50 % – प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
		शर्तों) / अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर
4	उप प्रमुख	क) 75 % – पदोन्नति ना होने की स्थिति में
		प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्ती)/अल्पकालिक अनुबंध के
		आधार पर
		ख) 25 % — प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा

		शर्तों)/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर
5	एकीकृत वित्तीय सलाहकार	प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्तों)/अल्पकालिक अनुबंध के
		आधार पर
6	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	पदोन्नति ना होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
		शर्तों)/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर
7	सहायक सचिव व सहायक प्रमुख (लेखा)	पदोन्नति ना होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
		शर्तों)/अल्पकालिक अनुबंध के आधार पर
8	सहायक प्रमुख (सहायक प्रमुख (लेखा) के	प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्ती)) / अल्पकालिक अनुबंध के
	अलावा)	आधार पर
9	बेंच अधिकारी	पदोन्नति ना होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
		शर्तों)/अल्पकालिन अनुबंध के आधार पर
10	प्रधान निजी सचिव	पदोन्नति ना होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
		शर्तों)/अल्पकालिन अनुबंध के आधार पर
11	वेतन व लेखा अधिकारी व वरिष्ठ लेखा	पदोन्नति ना होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
	अधिकारी	शर्तों) / अल्पकालिन अनुबंध के आधार पर
12	निजी सचिव	पदोन्नति ना होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा
		शर्तों)/अल्पकालिन अनुबंध के आधार पर
13	सहायक	प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्तों)) / अल्पकालिक अनुबंध
		के आधार पर
14	निजी सहायक	पदोन्नति / सीधी भर्ती
15	कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक	प्रतिनियुक्ति (विदेशी सेवा शर्तों) के आधार पर / सीधी
		भर्ती / अल्पकालिन अनुबंध के आधार पर
16	आशुलिपिक	सीधी भर्ती
17	हिन्दी लिपिक (अ. श्रे. लि.)	सीधी भर्ती
18	रिसेप्शनिस्ट एंव टेलीफोन ऑपरेटर	सीधी भर्ती
19	ड्राइवर	सीधी भर्ती
20	वरिष्ठ चपरासी / दफ्तरी	पदोन्नति
21	चपरासी	सीधी भर्ती

4. <u>मूल विनियम के परिशिष्ट</u> — **III** के लिए, निम्नलिखित परिशिष्ट को प्रतिस्थापित किया जाएगा : —

परिशिष्ट - || || निम्निलिखित पदों पर पदोन्नित के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता के मानदंड इस प्रकार है

क्रम	पद	वेतनमान/वेतन मेट्रिक्स	अर्हकता और अनुभव	अर्हक सेवा
संख्या		में लेवल	की प्रकृति	
	1	2	3	4
1	प्रमुख	लेवल−14(₹1,44,200−	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के	आयोग में संयुक्त प्रमुख के ग्रेड
		₹2,18,200)	आघार पर परिशिष्ट—I में	में तीन साल की नियमित सेवा
		, ,	दर्शाया गया है।	
2	संयुक्त प्रमुख	लेवल−13(₹1,23,100−	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के	आयोग में उप प्रमुख के ग्रेड में
		₹2,15,900)	आघार पर परिशिष्ट— I में	पॉच साल की नियमित सेवा
		,	दर्शाया गया है।	
3	उप प्रमुख	लेवल−12(₹78,800−	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के	आयोग में सहायक
		₹2,09,200)	आघार पर परिशिष्ट— I में	सचिव / सहायक प्रमुख / बेंच
		(2,00,200)	दर्शाया गया है।	अधिकारी के ग्रेड में पॉच साल
				की नियमित सेवा
4	वरिष्ठ प्रधान	लेवल−12(₹78,800−	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के	आयोग में प्रधान निजी सचिव
	निजी सचिव	₹2,09,200)	आघार पर परिशिष्ट– I में	के ग्रेड में पॉच साल की

			दर्शाया गया है।	नियमित सेवा
5	सहायक प्रमुख (लेखा)	लेवल—11(₹67,700— ₹2,08,700)	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के आघार पर परिशिष्ट— I में दर्शाया गया है।	आयोग में वेतन व लेखा अधिकारी / वरिष्ठ लेखा अधिकारी के ग्रेड में पॉच साल की नियमित सेवा  यदि उपरोक्त श्रेणी में कोई अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो
	_			आयोग में सहायक के ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा
6	सहायक सचिव	लेवल−11(₹67,700− ₹2,08,700)	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के आघार पर परिशिष्ट— I में दर्शाया गया है।	आयोग में सहायक के ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा
7	बेंच अधिकारी	लेवल−11(₹67,700− ₹2,08,700)	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के आघार पर परिशिष्ट— I में दर्शाया गया है।	आयोग में सहायक के ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा
8	प्रधान निजी सचिव	लेवल—11(₹67,700— ₹2,08,700)	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के आघार पर परिशिष्ट— I में दर्शाया गया है।	आयोग में निजी सचिव के ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा
9	वेतन व लेखा अधिकारी	लेवल−10(₹56,100− ₹1,77,500)	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के आघार पर परिशिष्ट— I में दर्शाया गया है।	आयोग में सहायक के ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा
10	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	लेवल−10(₹56,100− ₹1,77,500)	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के आघार पर परिशिष्ट— I में दर्शाया गया है।	आयोग में सहायक के ग्रेड में आठ साल की नियमित सेवा
11	निजी सचिव	लेवल−7(₹44,900− ₹1,42,400)	वहीं जो प्रतिनियुक्ति के आघार पर परिशिष्ट— I में दर्शाया गया है।	आयोग में निजी सहायक के ग्रेड में पॉच साल की नियमित सेवा
12	निजी सहायक	लेवल−6(₹35,400− ₹1,12,400)	वहीं जो परिशिष्ट— II में दर्शाया गया है।	आयोग में आशुलिपिक के ग्रेड में दस साल की नियमित सेवा
13	वरिष्ठ चपरासी / दफ्तरी	लेवल—1(₹18,000— ₹56,900)	हिन्दी व अंग्रेजी का बोलचाल व लिखने में ज्ञान। फाइल मूवमेंट, डाक प्रबंधन, रिकॉर्ड रूम व कोर्ट में सहायता का ज्ञान आवश्यक है।	आयोग में चपरासी के ग्रेड में दो साल की नियमित सेवा

सनोज कुमार झा, सचिव [विज्ञापन- III/4/असा./97/19]

### टिप्पणी:

- (क) मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं 156 में 31 जुलाई 2007 को प्रकाशित किये गए थे।
- (ख) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं 94 में 03 अप्रैल 2013 को प्रकाशित किये गए थे।

- (ग) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (द्वित्तीय संशोधन) विनियम, 2015 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं 384 में 04 दिसम्बर 2015 को प्रकाशित किये गए थे।
- (घ) केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कर्मचारियों की भर्ती, नियंत्रण तथा सेवा शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग—III, खंड—4, सं 110 में 28 मार्च 2016 को प्रकाशित किये गए थे।

#### CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th June, 2019

No. L-2/2(2)/2011-Estt./CERC.—In exercise of powers conferred under clause (za) of sub-section (2) of Section 178 read with sub-section (3) of Section 91 of The Electricity Act, 2003 and in accordance with Ministry of Finance, Department of Expenditure ID No. 910004/E.Coord.I/2018 dated 11 Jan 2019, the Central Electricity Regulatory Commission with the approval of the Central Government hereby makes the following Regulations, to amend the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) Regulations, 2007 (here in after referred to as "the Principal Regulations"), namely:

- 1. Short title and commencement, viz, :-
- (i) These Regulations shall be called as the Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Fourth Amendment) Regulations, 2019.
  - (ii) These Regulations shall come into effect from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Amendment of Regulation 5 of the Principal Regulations: Regulations 5 of the Principal Regulations shall be substituted by the following, viz.,:-
  - "5. Sanctioned Strength and Pay Scales.

The sanctioned posts in the Commission shall be categorized in different pay scales as given in the table below, indicating the corresponding levels in the Central Government against each category:

Post	Pay Scale/ Level in Pay Matrix	Equivalent Level under the Central Government	Posts
1	2	3	4
Secretary	Level-14 (Rs.1,44,200 - 2,18,200)	Joint Secretary	1
Chief	Level-14 (Rs.1,44,200 - 2,18,200)	Joint Secretary	4
Joint Chief	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900)	Director	9
Deputy Chief	Level-12 (Rs. 78,800 – 2,09,200)	Deputy Secretary	21
Integrated Financial Adviser	Level-12 (Rs. 78,800 – 2,09,200)	Deputy Secretary	1
Senior Principal Private Secretary	Level-12 (Rs. 78,800 – 2,09,200)	Senior Principal Private Secretary	1
Assistant Secretary	Level-11(Rs.67,700 – 2,08,700)	Under Secretary	2
Assistant Chief	Level-11(Rs.67,700 – 2,08,700)	Under Secretary	28

Bench Officer	Level-11(Rs.67,700 – 2,08,700)	Under Secretary	2
Principal Private	Level-11 (Rs.67,700 – 2,08,700)	Principal Private	4
Secretary		Secretary	
Pay & Accounts	Level-10 (Rs.56,100 – 1,77,500)	Senior Accounts	1
Officer		Officer	
Senior Accounts Officer	Level-10 (Rs.56,100 – 1,77,500)	Senior Accounts	2
		Officer	
Private Secretary	Level-7 (Rs.44,900-1,42,400)	Private Secretary	5
Assistant	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400)	Assistant	16
Personal Assistant	Level-6 (Rs.35,400-1,12,400	Personal Assistant	2
Junior Hindi Translator	Level-6 (Rs.35,400 – 1,12,400)	Junior Hindi Translator	1
Stenographer	Level-4 (Rs.25,500 – 81,100)	Stenographer	1
Hindi Typist (LDC)	Level-2 (Rs.19,900 –63,200)	Hindi Typist (LDC)	1
Receptionist-cum -	Level-2 (Rs.19,900 –63,200)	Lower Division Clerk	1
Telephone operator			
Driver	Level-2 (Rs.19,900 –63,200)	Driver	4
Senior Peon/Daftry	Level-1 (Rs.18,000 –56,900)	Daftry	2
Peon	Level-1 (Rs.18,000 –56,900)	Peon	2
Total			111

Amendment of Regulation 6 of the Principal Regulations: First paragraph of Regulations 6 of the Principal Regulations shall be substituted by the following, viz , :-

"Appointments against the sanctioned posts in the Commission may be made either through direct recruitment or on short-term contract basis or on Deputation on foreign service terms or on promotion basis as under:-

Sl. No.	Post	Mode of appointment	
1	Secretary	Deputation on foreign service terms	
2	Chief	<ul> <li>i) Fifty per cent by promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract and</li> <li>ii) Fifty percent by deputation on foreign service/Short-term contract</li> </ul>	
3	Joint Chief	<ul> <li>i) Fifty per cent by promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract and</li> <li>ii) Fifty per cent by deputation on foreign service/Short-term contract</li> </ul>	
4	Deputy Chief	Seventy five per cent by promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract and     Twenty five per cent by deputation on foreign service/Short-term contract	
5	Integrated Financial Adviser	By deputation on foreign service terms/ Short-term contract.	
6	Senior Principal Private Secretary	Promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract.	
7	Assistant Secretary and Assistant Chief (Accounts)	Promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract.	
8	Assistant Chief [excluding Assistant Chief(Accounts)]	Deputation on foreign service/Short-term contract	
9	Bench Officer	Promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract.	
10	Principal Private Secretary	Promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract.	

[भाग III-खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 7

11	Pay & Accounts Officer/Senior Accounts Officer	Promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract.
12	Private Secretary	Promotion failing which by deputation on foreign service/Short-term contract.
13	Assistant	Deputation on foreign service/Short-term contract.
14	Personal Assistant	Promotion/ Direct Recruitment
15	Junior Hindi Translator	Deputation on foreign service terms/ Direct Recruitment/Short-term contract
16	Stenographer	Direct Recruitment
17	Hindi Typist (LDC)	Direct Recruitment
18	Receptionist-cum - Telephone operator	Direct Recruitment
19	Driver	Direct Recruitment
20	Senior Peon/Daftry	Promotion
21	Peon	Direct Recruitment

# 4. For Appendix-III of the Principal Regulations, the following Appendix shall be substituted :-

# **APPENDIX-III**

"Eligibility criteria for appointment on promotion basis to the following posts:-

Sl. No.	Post	Pay Scale/Level in Pay Matrix	Qualification & Nature of Experience	Qualifying service
	1	2	3	4
1	Chief	Level-14 (Rs.1,44,200- 2,18,200)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With three years regular service in the grade of Joint Chief in the Commission;
2	Joint Chief	Level-13 (Rs.1,23,100- 2,15,900)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Five years regular service in the grade of Deputy Chief in the Commission.
3	Deputy Chief	Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Five years regular service in the grade of Assistant Chief as Assistant Secretary/ Assistant Chief/ Bench Officer in the Commission.
4	Senior Principal Private Secretary	Level-12 (Rs. 78,800 - 2,09,200)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With five years regular service in the grade of Principal Private Secretary in the commission.
5	Assistant Chief (Accounts)	Level-11 (Rs.67,700 - 2,08,700)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Five years regular service in the grade of Senior Accounts Officer/Pay and Accounts Officer in the commission.  If no officer in the aforementioned category is available, then

				With Ten years regular service in the grade of Assistant in the Commission.
6	Assistant Secretary	Level-11 (Rs.67,700 - 2,08,700)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Ten years regular service in the grade of Assistant in the Commission.
7	Bench Officer	Level-11 (Rs.67,700 – 2,08,700)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Ten years regular service in the grade of Assistant in the Commission.
8	Principal Private Secretary	Level-11 (Rs.67,700 – 2,08,700)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Eight years regular service in the grade of Private Secretary in the commission.
9	Pay and Accounts Officer	Level-10 (Rs.56,100 - 1,77,500)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Eight years regular service in the grade of Assistant in the commission.
10	Senior Accounts Officer	Level-10 (Rs.56,100 - 1,77,500)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Eight years regular service in the grade of Assistant in the commission.
11	Private Secretary	Level-7 Rs.44,900- 1,42,400)	As applicable for deputationist mentioned in Appendix-I	With Five years regular service in the grade of Personal Assistant in the commission.
12	Personal Assistant	Level-6 Rs.35,400- 1,12,400)	Applicable as mentioned in Appendix-II	With Ten years regular service in the grade of Stenographer in the commission.
13	Senior Peon/Daftry	Level-1 (Rs.18,000 - Rs. 56,900)	Having knowledge of spoken and written Hindi along with familiarity with spoken/written English. Must have knowledge of file movement, dak management and rendering assistance in record room and court.	With Two years regular service in the grade of Peon in the Commission.

"

- (a) Principal Regulations were published on 31st July, 2007 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III, Section-4, No. 156.
- (b) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (First Amendment) Regulations, 2013 were published on 3<sup>rd</sup> April, 2013 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No 94
- (c) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Second Amendment) Regulations, 2015 were published on 4<sup>th</sup> December, 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No.384,
- (d) Central Electricity Regulatory Commission (Recruitment, Control and Service Conditions of Staff) (Third Amendment) Regulations, 2016 were published on 28<sup>th</sup> March 2016 in Gazette of India, Extraordinary, Part-III-Section-4, No.110.